राजस्व वाद संख्या 105/2020
मोहनराम बनाम जजूराम वगैरा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 105/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00305

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.गोहनराम पुत्र उमेदाराम 2.गुमनाराम पुत्र उमेदाराम 3.पारसराम पुत्र उमेदाराम 4.धापूदेवी पत्नी उमेदाराम जाति मेधवाल निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.जजूराम पुत्र मूलाराम 2.सोनाराम पुत्र मूलाराम 3.कुंभा पुत्र गोरखा 4.डाया पुत्र गोरखा 5.बाबु पुत्र गोरखा 6.चम्पा पुत्र गोरखा 7.जगदीश पुत्र चुतराराम 8.तेजाराम पुत्र चुतराराम 9.पुखराज पुत्र चुतराराम 10.भैराराम पुत्र चुतराराम जाति मेधवाल निवासी खनौड़ा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2.प्रतिवादी एकतरफा।

(मुहर: सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

निर्णय

दिनांक— 31.10.2025

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा खनौड़ा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 319/212,363/212 व 364/212 कुल रकबा 61.17 बीधा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.7.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसील पचपदरा से नवसृजित तहसील पाटोदी होने पर तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खनौड़ा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 319/212,363/212 व 364/212 कुल रकबा 61.17 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	मोहनराम 7/24 गुमनाराम 7/24 पारसराम 7/24 पि. उमेदाराम पपुड़ी शांति मोहनी पि. उमेदाराम 3/24 चम्पालाल पि. गोरखाराम 1/4 जसूराम 1/4 सोनाराम 1/4 पि. मूलाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	खनौड़ा	500/364 363/212	3.3735 1.4238	बा.सो. बा.सो.	1.89 0.80	A B
2	जगदीश तेजाराम पुखराज भैराराम पि. चुतराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	खनौड़ा	498/319	4.9592	बा.सो.	2.80	C
3	मोहनराम 7/192 गुमनाराम 7/192 पारसराम 7/192 पि. उमेदाराम पपुड़ी शांति मोहनी पि. उमेदाराम 3/192 कुंभाराम डायाराम बाबूराम चम्पालाल पि. गोरखाराम 1/8 जसूराम 1/8 सोनाराम 1/8 पि. मूलाराम जगदीश तेजाराम पुखराज भैराराम पि. चुतराराम 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	खनौड़ा	498/319	0.1780	बा.सो.	0.08	D

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार) 31/10/25
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.25 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

31/10/25
सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 105/2020
मोहनराम बनाम जंजूराम वगैरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 105/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2020/00305

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.मोहनराम पुत्र उमेदाराम 2.गुमनाराम पुत्र उमेदाराम 3.पारसराम पुत्र उमेदाराम 4.धापूदेवी पत्नी उमेदाराम जाति मेघवाल निवासी खनोड़ा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.जजूराम पुत्र मूलाराम 2.सोनाराम पुत्र मूलाराम 3.कुंभा पुत्र गोरखा 4.डाया पुत्र गोरखा 5.बाबु पुत्र गोरखा 6.चम्पा पुत्र गोरखा 7.जगदीश पुत्र चुतराराम 8.तेजाराम पुत्र चुतराराम 9.पुखराज पुत्र चुतराराम 10.भैराराम पुत्र चुतराराम जाति मेधवाल निवासी खनौड़ा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :105/2020
निर्णय दिनांक :— 31.10.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

31/10/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

जस्व वाद संख्या 105/2020
ोहनराम बनाम जंजूराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	————
6.कमिश्नर की फीस	————	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	————

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा